प्रकरण संख्या 8/2022 लालशंकर बनाम मंगला व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.09.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ग्राम बोर का निवासी होकर अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। वादी को लोग बदा एवं मंगला दोनों नामों से जानते हैं। वादी को करीब 50 वर्ष पूर्व 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन हुआ था, जिसके खसरा नंबर 630/83 है। आवंटन दिनांक से वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा पक्का मकान भी करीब 15 वर्ष पूर्व उक्त आराजी पर बनवाया है। प्रतिवादी संख्या 1 विधायक एवं पंचायत समिति बिछीवाड़ा का पूर्व प्रधान है, जिसने विधायक रहते सी.सी. रोड़ वादी की उक्त आराजी के बीचों बीच बनवा दी तथा दूसरी तरफ वादी की करीब 1 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया तथा बलपूर्वक छीनना चाहते हैं। अतः निवदेन किया कि वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी नंबर 630/83 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि में वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादी द्वारा दखलन्दाजी नहीं करने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकियात कायम की गयी तथा तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 25.04.2022 को वादी का वाद डिक्री किया गया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 24.06.2022 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री धमेन्द्र सागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 राज्य सरकार की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:51:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 8/2022 लालशंकर बनाम मंगला व अन्य

दौरान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.04.2021 को प्रकरण में तनकियात कायम कर पत्रावली वादी की साक्ष्य हेतु दिनांक 22.04.2021 के लिए नियत की गयी, किन्तु तनकियात कायम करने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 2 के जवाबदावे हेतु कोई आदेशिका ही नहीं लिखी गयी एवं न ही प्रतिवादी संख्या 2 का जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में मौका रिपोर्ट मंगवाने का कोई प्रार्थना पत्र पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही इस बाबत् आदेशिका चली, किन्तु दिनांक 22.04.2021 की आदेशिका में प्रतिवादी संख्या 2 के जवाब एवं मौका रिपोर्ट हेतु पत्रावली दिनांक 26.05.2021 के लिए नियत की गयी। अर्थात साक्ष्य वादी की स्टेज को कभी भी बन्द नहीं कर नई स्टेज मौका रिपोर्ट हेतु निर्धारित कर दी गयी। दिनांक 21.04.2022 को पत्रावली साक्ष्य वादी की स्टेज पर होनी चाहिए थी, जबकि आदेशिका का उसी दिन दो बार लिखा जाकर झूठी आदेशिका लिखी गयी कि बहस समायत की गयी और प्रकरण को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। मौका रिपोर्ट में कहीं पर भी वादी का कब्जा अंकित नहीं है। उक्त भूमि पर सी.सी. सड़क एवं प्रतिवादी का कब्जा अंकित है। वर्तमान खाता संख्या 75 का कोई विवाद नहीं होते हुए भी खाता संख्या 75 में मंगला पिता केवला के स्थान पर मंगला उर्फ बा पिता केवला मीणा निवासी बोर का पानी अंकन करने का आदेश पारित कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा प्रकरण नये सिरे से निर्णय करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:51:44 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षों की बहस पर गौर कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.04.2021 से प्रतिवादी संख्या 2 का

जवाब अप्राप्त। मौका रिपोर्ट अप्राप्त होने का अंकन है, किन्तु मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु पूर्व में कोई आदेशिका नहीं लिखी गयी है। इसके अलावा दिनांक 21.04.2022 की आदेशिका 2 बार लिखी गयी है, जिसे अपीलान्ट ने संदेहास्पद बताया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपनी उक्त आदेशिका में पुनश्चः करके अंकित किया है कि ''तहसीलदार बिछीवाड़ा की रिपार्ट, पुलिस थाना बिछीवाड़ा के प्र.सं. 218/2021 धारा 420 में बाद अनुसंधान आयी रिपोर्ट के आधार पर वाद को आगे चलाना आवश्यक नहीं रहता है। पत्रावली वास्ते कार्यवाही/निर्णय हेतु दिनांक 25.04.2022 को पेश हो।''

अधिनस्थ न्यायालय की उक्त आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 19/2020 निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.2022 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादी को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.11.2023 को उपस्थिरत रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:51:44 IST
Reason: SelfAttested